न्यायालय : मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बाड़मेर।

:: विज्ञप्ति ::

क्रमांक :– 1

दिनांक :– 26/09/2019

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर में वर्तमान में निम्न पद रिक्त है :–

1. आशुलिपिक हिंदी – 01 पद
2. रीडर – 01 पद

राजस्थान राज्य विधि एवं विधिक कार्य विभाग के पत्रांक 26(24) न्याय/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक 19.08.2019 के पत्र में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 4689/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 की पालना में तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक दिनांक 07.08.2019 में किए गये निर्णय के क्रम में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में बताये गये स्टेनोग्राफर व रीडर वर्ग के समस्त रिक्त पदों हेतु पे माईनस पेंशन पर कार्गिक लगाये जाने की सहमति होने तथा डी.ओ.पी. के आदेश क्रमाक 31.03.2015 के अनुसरण में पे माईनस पेशन के आधार पर पुनर्नियुक्ति हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, का अनुमोदन पश्चात उक्त रिक्त पदों पर सेवानिवृत कार्मिकों से संविदा/राज्य सरकार के विभागों/PSUS से पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर निम्न प्रकार ली जानी है।

मंत्रालयिक संवर्ग (रीडर व आशुलिपिक हेतू) :–

1. न्याय विभाग से सेवानिवृत कर्मचारीगण Hire करके, इनके उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत कर्मचारीगण को Hire करके।
2. राज्य सरकार के अन्य विभागों/ PSUs से Deputation or Reverse Deputation पर उपलब्ध कर्मचारीगण की सेवाएं।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रामिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा। कर्मचारीगण का चयन उक्त वर्णित प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।

Deputation or Reverse Deputation पर आने वाले कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से अपनो आवेदन कर सकेंगे।

न्याय विभाग/राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे सेवानिवृत कार्मिक, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वे कर्मचारिगण विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त दोनों संवर्गो की सेवाएं राजस्थान सरकार विधि एंव विधिक कार्य विभाग से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं इस अधिकरण में रिक्त पद के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी संबधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित संवर्गो में सेवाएं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक **15.10.2019** तक इस कार्यालय में निम्न दस्तावेज की फोटो प्रतियां सहित निर्धारित समयावधि में अपना आवेदन कर सकते है। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा :–

1. सेवानिवृत के समय मूल वेतन बाबत एल.पी.सी.।
2. पी.पी.ओ. आदेश।
3. वेतन निर्धारण प्रमाण–पत्र, जिसमें ग्रेड–पे अंकित हो।

26-9-19

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
बाडमेर।

क्रमाक 391

दिनांक 26/09/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचित/संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, विधि एव विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, बाड़मेर को समस्त विभागों/ PSUs में सूचित करने हेतू।
3. जिला जन संपर्क अधिकारी, बाड़मेर को अखबार में प्रकाशन हेतू।
4. जिला सूचना अधिकारी, NIC, बाड़मेर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु। /ACP DOITC
5. अध्यक्ष, पेशनर्स समाज, बाड़मेर।
6. District Co-ordinator, Rexo, बाड़मेर।
7. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

26-9-19

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

Scanned by CamScanner

कार्यालय : मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर

:: राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा, पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारुप ::

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. जन्मतिथि : ....
4. पता : ....
....
5. आयु दिनांक (.................. को) : .... वर्ष, ... माह, ... दिन
6. अर्हताएं : ....
7. मूल विभाग का नाम : ....
8. सेवानिवृत्ति के समय घोषित पदः ....
9. अनुभव : ....
....
....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतनः ....
(रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एल.पी.सी. संलग्न है)
11. मूल पेंशन राशि : ....
(पी.पी.ओ. प्रति संलग्न है)
12. धारित पद का वेतनमान : ....
(सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र : ....
(संलग्नानुसार है)

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राजस्थान सरकार, विधिक एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र एवं प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिए गए सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसार में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए आवेदन प्रारुप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाए गए हैं और श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था/रही थी, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किए जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती .... रुपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे वैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती .... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनको सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

Scanned by CamScanner